मोदी मंत्रिमण्डल ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया

संसद सत्र में विधेयक सदन में पेश किया जायेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा

- केन्द्र सरकार ने सोमवार शाम तक संसद सत्र का एजेण्डा गुप्त रखा था, शुरु से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि, प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे देश की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन हो जायेगा।
- केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में पुष्टि की। अपने ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा कि, महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंज़ूरी से साबित हो गया।

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार को केंद्र की कैबिनेट बैठक हुई। संसद के एनेक्सी भवन में हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से पास हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की। अपने ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा कि महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंज़ूरी से साबित हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया है।

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत विभिन्न मंत्री शामिल हुए। संसद के विशेष सत्र का ऐलान होने के बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि पी.एम. मोदी एक बार फिर चौंकाएंगे। सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान पी.एम. मोदी के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। वहीं, इस फैसले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि महिला आरक्षण लागू करने की मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही थी। हम केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और बिल से जुड़ी जानकारियों का इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे की राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।

जयराम रमेश ने अपने एक पुराने पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक की पृष्ठभूमि का हवाला दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। रमेश के अनुसार, अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्ह राव ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया था। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। आज पंचायतों और नगर निकायों में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह आंकड़ा 40 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अभी भी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी पिछले नौ साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसे लोकसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान भी महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी। वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश करने और इसे सर्वसम्मति से पारित कराने की सत्ता पक्ष से मांग की थी। वहीं, कैबिनेट मीटिंग को लेकर खूब कयासबाजी चल रही थी। अनुमान लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर सकती है। वहीं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना कि वन नेशन, वन इलेक्शन पर बात होने की उम्मीद है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर जोर दिया जा रहा था। इसलिए सबसे ज्यादा अनुमान इसी को लेकर था। सोमवार को संसद के विशेष सत्र के संबोधन के दौरान भी पी.एम. मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि संसदीय इतिहास के प्रारंभ से अब तक दोनों सदनों में कुल मिलाकर लगभग 7500 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है जिनमें करीब 600 महिला सदस्य रही हैं। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे महिला सदस्यों की संख्या बढ़ती गयी है। माना जा रहा था कि यह महिला आरक्षण का संकेत है।

पहली बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाषण में उन्होंने कहा, नेहरू के "ट्रिस्ट विद डैस्टिनी" भाषण की गूंज भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

नेहरू ने, 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि, "आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता में आँखें खोलेगा।"

मोदी ने कहा, "आज भारत की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा को याद करने का अवसर है। हम भले ही नई ईमारत में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन यह भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि यह भारतीय प्रजातंत्र की यात्रा का "स्वर्णिम अध्याय" है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के बाद सोमवार को जयपुर लौट आये। पायलट की हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के संबंध में गहन चर्चा हुई। पायलट 20 सितम्बर से ही पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में आयोजित कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे।

सचिन पायलट ऐतिहासिक सी.डब्ल्यु.सी. बैठक के बाद लौटे राजस्थान

वापसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने सचिन पायलट का शानदार स्वागत किया

- सचिन पायलट को तेलंगाना में कांग्रेस के प्रचार की कमान सौंपी गई।
- दो दिवसीय बैठक में पायलट ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व के.सी. वेणुगोपाल व अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की।
- हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी संगठन ने पायलट का स्वागत किया।

जयपुर, 18 सितम्बर। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, सी.डब्ल्यू.सी, की हैदराबाद में हुई 2 दिवसीय बैठक के बाद सचिन पायलट मंगलवार शाम को राजस्थान वापस लौट आए हैं। इस दौरान सचिन पायलट को आगामी तेलंगाना चुनाव के लिए पार्टी के हाई कमान द्वारा प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। सोमवार को सचिन पायलट ने नामपल्ली विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए जन संपर्क तथा प्रचार भी किया।

2 दिवसीय बैठक के दौरान सचिन पायलट की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल एवं पार्टी के अन्य शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों से हुई। इन बैठकों में आगामी राजस्थान चुनाव और लोक सभा चुनाव से संबंधित एहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

हैदराबाद यात्रा के दौरान, पायलट को वहां पर स्थित, प्रवासी राजस्थान संगठन, ने भी सम्मानित किया और उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

सचिन पायलट 20 सितंबर को अपनी विधान सभा क्षेत्र, टोंक में आयोजित कार्यक्रमों में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

खड़गे और राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आयेंगे

दोनों नेता कांग्रेस के नये बनने वाले प्रदेश मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे

- कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय, शिप्रा पथ पर सिटी पार्क के सामने बनेगा। कार्यालय के लिए 6000 वर्ग गज जमीन आवंटित की गई है।
- राहुल व खड़गे कांग्रेस के विभिन्न स्तर के 55 हजार पदाधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे।

जयपुर, 18 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आयेंगे और राजस्थान कांग्रेस के नए मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यालय के शिलान्यास के बाद राजस्थान कांग्रेस की सभा के साथ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए राजस्थान कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेगी। इस सभा के जरिए कांग्रेस के बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को चुनावी टास्क दिए जांएगे।

राजस्थान कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए 55 हजार पदाधिकारियों को बुलाया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 52 हजार बूथ अध्यक्षों, 2200 मंडल अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्षों, 40 जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को इस सभा में बुलाया गया है। कार्यक्रम की तैयारी देखने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 23 सितंबर को नए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के भवन के शिलान्यास का निमंत्रण दिया गया है। शिलान्यास के बाद सभा रखी गई है। हमारे बूथ अध्यक्षों से लेकर सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। सरकार से हमने नए भवन के लिए जमीन आवंटित करवाई है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। मानसरोवर में शिप्रा पथ पर नए सिटी पार्क के सामने पीसीसी की बिल्डिंग बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6000 वर्ग गज जमीन अलॉट हो चुकी है। नए मुख्यालय के प्रोजेक्ट पर करीब 80 करोड़ की लागत आएगी। प्रदेश कांग्रेस ने पहले 23 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम प्लान किया था, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से समय नहीं मिलने के कारण इसे टाल दिया गया। अब नए सिरे से कार्यक्रम बनाया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष से लेकर पदाधिकारियों के अलग-अलग चैंबर बनेंगे। कांग्रेस के साथ ही यूथ कांग्रेस, एन.एस.यू.आई., महिला कांग्रेस, सेवा दल के मुख्यालय भी इसी नए भवन में होंगे। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ, विभागों के दफ्तर एक जगह इसी मुख्यालय में होंगे। नए मुख्यालय में कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा मिनी म्यूज़ियम भी बनेगा।

झारखण्ड के मु.मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने कथित अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के समन को चुनौती देने वाली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सोमवार को खारिज करते हुए उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाने को कहा।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि वो राहत के लिए पहले उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करें।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बोस ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, आप (सोरेन) उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? पहले आप वहां जाएं।

चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने के विधेयक से सरकार ने हाथ पीछे खींचे

- चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले विधेयक को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है।

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी है, उनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही बिल को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

दरअसल यह चर्चा थी कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पेश करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। इसका तीखा विरोध हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वायत्ता से समझौता बता रहा था को वहीं 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पी.एम. मोदी को खत भी लिखा था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अब सरकार खुद अपने स्तर पर भी बदलाव की जरूरत महसूस कर रही है। इसीलिए बिल को कुछ वक्त के इंतजार और संशोधन के बाद ही पेश किया जाएगा।

इस बिल को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति यह भी है कि आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया जा रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल का चीफ जस्टिस भी हिस्सा होते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में आदेश दिया था।

जे.डी.एस. सांसद को राहत

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की संसद सदस्यता रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के एक सितंबर के आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

केरल और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपस्थिति नाममात्र की है।

लेकिन बड़ा खतरा यह है कि, इससे गठबंधन के अन्य घटकदल बड़ी सौदेबाजी करने के लिये तथा अपनी क्षमता से बढ़कर दावेदारी करने के लिये प्रेरित -प्रोत्साहित हो सकते हैं। अरविन्द केजरीवाल की "आप" तथा कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में सीट-शेयरिंग के मामले में पहले से ही परस्पर उलझ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी तथा पंजाब में कांग्रेस की राज्य इकाइयों के नेता पार्टी नेतृत्व को सीट-शेयरिंग व्यवस्था की अवहेलना करने सलाह दे रहे हैं। साफ जाहिर है कि, इस प्रकार की घटनाओं से भाजपा को पूरा मौका मिल जायेगा, नवगठित विपक्षी गठबंधन में एकता के अभाव की आलोचना करने का। लेकिन, जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता घोषणा कर चुके हैं, वे, जहाँ तक संभव होगा, वन-टु-वन की लड़ाई ही रखना चाहेंगे।

सूत्रों ने कहा कि, उन राज्यों में, जहाँ कांग्रेस, भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, सहमति /समझौते तक पहुँचने की कोशिश की जायेगी। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा तथा हिमालचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

'प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया'

- प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद भवन में अपने आखिरी संबोधन के दौरान बेहद भावुक हो गये।
- प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में शोर-शराबे और वॉकआउट के संबंध में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि, रोने-धोने के लिए बहुत समय पड़ा है, संसद सत्र बहुत छोटा है, इसे उपयोगी बनायें।

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, आज यह पुराने भवन में आखिरी दिन है। कल से हम नए संसद भवन में शिफ्ट होंगे और नई शुरुआत होगी। लेकिन यह भवन हमारे लिए साझी विरासत रहा है और तमाम प्रेरक पल यहां से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भावुक भी नजर आए और कहा कि इसी संसद भवन से हमारी तमाम यादें भी जुड़ी हैं, जो झकझोर देती हैं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के विरोध की आशंकाओं को थामने के लिए कुछ ऐसी बातें कहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, संसद सत्र बहुत छोटा है इसे उपयोगी बनायें, रोने-धोने के लिए बहुत समय पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब मैं पहली बार सांसद के रूप में इस भवन में आया, तो सफल रूप से मैंने इस संसद भवन की पटल पर अपना सिर झुकाकर आया था। इस लोकतंत्र के मंदिर में श्रद्धाभाव से मैंने कदम रखा था। भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेल प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला गरीब करने वाला संसद पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। उन्होंने कहा कि इस भवन को बनाने का फैसला भले ही अंग्रेजी हुकूमत का था, लेकिन इसके निर्माण में परिश्रम और पैसा देश के लोगों का ही लगा था।

इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने हमें कई यादें दी हैं। भले ही हम नए भवन में जा रहे हैं, लेकिन यह भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

पुराने भवन की यादों को लेकर पी.एम. मोदी ने कहा कि इस सदन से विदाई लेना भावुक पल है।

इस वर्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और प्रतिभूति लेन-देन कर सहित व्यक्तिगत आयकर (पी.आई.टी.) 447291 करोड़ रुपये रहा है। इस अवधि में प्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह 9,87,061 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 8,34,469 करोड़ रुपये की तुलना में 18.29 प्रतिशत अधिक है।

अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्नामलाई पर बरसते हुए उन्होंने कहा, "वे अहंकारी हैं। दोनों के बीच गठबंधन नहीं है, इसका निर्णय चुनाव के समय ही हो सकता है। अचानक वे हमारे नेताओं की आलोचना कर रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने यह मामला भाजपा हाई कमान के सामने भी उठाया, उसके बावजूद वे ऐसा कर रहे हैं तो भाजपा की जानकारी से ही हो रहा है।

11 सितम्बर को हिंदू रिलिजस एण्ड चैरिबेटल एन्डाओमैंट्स मंत्री पी.के. शेखरबाबू ने यहां सनातन धर्म हटाओ सम्मेलन का नेतृत्व किया था तब अन्नामलाई ने अन्नादुराई के खिलाफ बयान दिया था।

कांग्रेस का चतुर दांव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इतिहास का उल्लेख किया तथा कांग्रेस शासन के दौरान लाई गई उन 20 प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लाये गये सभी प्रमुख कानूनों के उल्लेख के साथ ही, दासता-उन्मूलन का उल्लेख किया। खड़गे ने कहा, "नेहरु जी का मानना था कि मजबूत विपक्ष की गौरमौजूदगी का अर्थ है कि, सिस्टम में उल्लेखनीय कमियाँ एवं खामियाँ हैं। अगर सशक्त विपक्ष नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है। अब, जब सशक्त विपक्ष है तो इसे ई.डी., सी.बी.आई.-- के जरिये कमजोर करने पर फोकस किया जा रहा है।" जवाहर लाल नेहरु तथा राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुये, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "न्हेरु जी ने बड़े मुश्किल समय में भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की आजादी की खातिर 14 वर्ष जेल में रहे। नये संसद भवन में पहुंच जाने मात्र से, कुछ नया नहीं हो जायेगा।" उन्होंने कहा, भाजपा को उनके (नेहरु) बारे में अपमानजनक बातें करना बंद कर देना चाहिये।

खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में केवल दो बार बयान दिये हैं तथा उन्होंने इसकी (जवाब देने की) तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह से की है। उन्होंने कहा, "अपने कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 बार तथा मनमोहन सिंह ने 30 बार बयान दिये थे।" उन्होंने आगे कहा, "किन्तु प्रधानमंत्री मोदी ने चन्द "प्रथागत एवं औपचारिक टिप्पणियों" के अलावा केवल दो बार ही बयान दिये हैं।"

'भाजपा सनातन धर्म का मुद्दा मूल मसलों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिंह ने कथित रुप से पार्टी से कहा कि, पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बहुत सतर्कतापूर्ण तरीका अपनाये।

भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खड़गे ने मांग की कि, 2021 की जनगणना प्रक्रिया को तुरंत आरंभ किया जाय, जिसमें जाति आधारित जनगणना भी हो। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि, जनगणना करवाने में विलंब के कारण 14 करोड़ लोग भोजन का अधिकार कानून से वंचित हैं और लगभग 18 प्रतिशत लोग मनरेगा के दायरे से बाहर हैं।

इसके साथ ही महिला मतदाताओं को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर मांग की कि, कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार के दौरान राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण विधेयक को 18 सितंबर से आरंभ हो रहे लोकसभा के विशेष सत्र में पारित करवाना चाहिए। कांग्रेस ने जोर दिया कि, महिलाओं को निर्वाचित निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पार्टी राजीव गांधी सरकार के समय से ही प्रतिबद्ध है।

जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनके राज्य पार्टी प्रमुखों ने पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले मंच को अपने राज्यों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, सबसे ज्यादा एकजुटता की जरूरत है। जिससे आगामी चुनाव में जीत मिल सके।

खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया कि, नेताओं को आत्म नियंत्रण रखना चाहिए और अपने पार्टी सहयोगियों या पार्टी के विरूद्ध मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए ताकि संगठन के हितों का नुकसान न हो।

उन्होंने कहा, "इसी तरह संगठनात्मक एकता बहुत जरूरी है। केवल एकता और अनुशासन से ही हम अपने विरोधियों को हरा सकते हैं। यह कर्नाटक में स्पष्ट हो गया जहां हमने एकता और अनुशासन से विजय प्राप्त की।"

खड़गे ने कहा, "मैं यहां मौजूद राज्य अध्यक्षों संसदीय दल के सदस्यों से पूछना चाहूंगा-क्या मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर आपकी समितियां तैयार हैं? क्या हम उन्हें नियमित रुप से कार्यक्रम दे रहे हैं। क्या हमने संभवित प्रत्याशियों का चयन आरंभ कर दिया।

हैदराबाद की बैठक में जो चर्चाएं हुईं और प्रस्ताव पारित किए गए वे पार्टी के बढ़ते आत्मविश्वास के सूचक हैं। जो पार्टी विभाजित और दिशाहीन थी, उसे अध्यक्ष के चुनाव और राहुल गांधी की चार माह लंबी भारत जोड़ो यात्रा ने एक दृढ़ व समर्पित संगठन में बदल दिया। अब, संगठन ऐसी सरकार को हराने के लिए प्रतिबद्ध है जिसने सभी संस्थाओं को खतरे में डाल दिया और जो महात्मा गांधी द्वारा स्वाधीनता संग्राम में प्रतिपादित किए गए "भारत के विचार" को दफनाने की कोशिश में है।

अडानी केस में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें वर्तमान समिति के कुछ सदस्यों के हितों के टकराव पर चिंता व्यक्त की गई है। मार्च 2023 में शीर्ष कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच और नियमन की संभावित असफलताओं की जांच के लिए समिति गठित की थी।

समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस (रिटायर्ड) अभय मनोहर सप्रे और सदस्यों में शामिल हैं ओ.पी. भट्ट, जस्टिस पी. देवधर, के.वी. कामर्थ, नंदन नीलकेणि और सोमसुंदर सुंदरेशन। आवेदन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ओ.पी. भट्ट को शामिल करने पर ऐतराज उठाया गया है, जो वर्तमान में अक्षय ऊर्जा कम्पनी ग्रीन्को के अध्यक्ष हैं। इसमें कहा गया है कि, ग्रीन्को और अडानी समूह की मार्च 2022 से गहरी भागीदारी है, भारत में अडानी की सुविधाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए।

याचिकाकर्ता ने पहले समिति के एक अन्य सदस्य सोमशेखर सुंदरेशन पर भी ऐतराज किया था क्योंकि वे सेबी बोर्ड सहित विभिन्न मंचों पर अडानी का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने की नियमन प्रक्रिया भी शामिल हैं। 24 जनवरी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आरोप लगाया था कि, अडानी समूह ने शेयरों में हेराफेरी तथा धोखाधड़ी की थी, हालांकि अडानी समूह ने इसे एक अनैतिक झूठ बताकर इससे इंकार किया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908